दोहरे हत्या काण्ड व लूट का आरोपी मृतक का पोता गिरफ्तार

दिनांक 27.4.09 की रात 10.30 बजे माकडोन थाना प्रभारी श्री बलदेवसिंह ठाकुर को सूचना मिली कि ग्राम पचौला जंगल में सायरबाई के खेत पर अज्ञात 4–5 बदमाशों द्वारा मृतक सुरेसिंह के साथ मारपीट कर हत्या कर दी व उसकी पत्नी सायरबाई, सीताबाई, मोनिका को घायल कर दिया। थाना माकडोन पर अपराध क्रमांक 124/09 धारा 394,397,302 अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा आरोपी नागूसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, राजेश पिता भैरा बंजारा, पप्पू पिता मांगीलाल बंजारा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपीगणों से पूछताछ करते उनके द्वारा बताया कि सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर सुरेसिंह अपने तीनों पुत्रो के बीच सम्पत्ति का बंटवारा बराबर नहीं किया गया एवं स्वयं के पास 50 बीघा जमीन रखी, उसकी वह स्वयं ही फसल लेता था। इससे क्षुब्ध होकर नागूसिंह द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर षडयंत्र रचा व उक्त अपराध घटित किया गया।